गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

I.S.O.-9001-2015 एवं **I.S.O.-14001-2015** प्रमाणित संस्था

शमन / स्वीकृत पत्र

पत्रांकः 560 /प्रवर्तन जोन–1/2019 दिनांकः 25.02.2019

सेवा में,

मैसर्स महालक्ष्मी रीयलटेक प्रा0लि0,
द्वारा डायरेक्टर श्री सुनील मिगलानी
ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट मिगसन रूफ,
खसरा संख्या–4, 5 व 51, ग्राम–सिकरोड़,
गाजियाबाद।

विषयः **खसर संख्या–4, 5 व 51, ग्राम–सिकरोड, गाजियाबाद पर निर्मित ग्रुप हाउसिंग "मिगसन रूफ" के स्वीकृत मानचित्र संख्या–354/GH/Zone-1/2016-17 दिनांक 01.04.17 के सापेक्ष किये गये अतिरिक्त निर्माण के शमन मानचित्र निर्गत के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक **खसर संख्या–4, 5 व 51, ग्राम–सिकरोड, गाजियाबाद पर निर्मित ग्रुप हाउसिंग "मिगसन रूफ" के स्वीकृत मानचित्र संख्या–354/GH/Zone-1/2016-17 दिनांक 01.04.17** से अतिरिक्त किये गये निर्माण को शमन कराने हेतु शमन आवेदन/शमन मानचित्र दिनांक **20.11.18** पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ दिनांक **22.01.19** को स्वीकृति प्रदान की गयी। स्वीकृति के क्रम में आरोपित शमन शुल्क धनांक **रु0 1,11,29,154.00** जमा किये जाने हेतु डिमांड पत्र संख्या–**537/प्रवर्तन जोन–1/2019, दिनांक 05.02.19** प्राधिकरण द्वारा निर्गत किया गया। डिमांड पत्र के सापेक्ष आप द्वारा आरोपित शुल्क **रु0 1,11,29,154.00** (रुपये एक करोड़ ग्यारह लाख उनतीस हजार एक सौ चौव्वन) विजया बैंक, नवयुग मार्केट में **दिनांक 18.02.19** को जमा किये गये हैं, जिसके फलस्वरूप शमन मानचित्र में विद्यमान निर्माण का निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ शमन मानचित्र निर्गत किया जाता है :–

<u>प्रतिबन्ध/शर्तें</u> :–

1. स्वीकृति एवं शमन के समय प्रस्तुत शपथ पत्रों में वर्णित समस्त धाराओं का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
2. शमन मानचित्र में दर्शित पार्किंग स्थल का प्रयोग केवल पार्किंग हेतु ही अनुमन्य होगा। अन्य प्रयोग निषेध होगा।
3. अग्निशमन विभाग से क्रियाशील होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही सम्पूर्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
4. रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग के सन्दर्भ में प्रस्तुत प्रमाण पत्र के अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण कर क्रियाशील किये जाने के उपरान्त ही सम्पूर्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
5. ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड पर 10 प्रतिशत आवश्यक ग्रीन जन सामान्य हेतु सुरक्षित एवं अनुरक्षित रखनी होगी। संदर्भित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड में 50 पेड़ प्रति हैक्टेयर व सामुदायिक सुविधा के अन्तर्गत 125 पेड़ प्रति हैक्टेयर के अनुसार लगाने होंगे।

6. वर्तमान में प्रस्तुत / स्वीकृत शमन मानचित्र के अनुसार सड़क विस्तार हेतु आरक्षित भूमि क्षेत्रफल को छोड़ते हुए बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण / विकास कार्य किया जायेगा।

7. भू–स्वामित्व की समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी। किसी वाद विवाद की स्थिति में शमन मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

8. स्वीकृत मानचित्र संख्या–354 / जी.एच. / जोन–1 / 2016–17 दिनांक 01.04.2017, आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के समय एवं शमन स्वीकृति के समय प्रस्तुत समस्त शपथ पत्र / वचनबद्धता तथा समस्त शासकीय विभागों से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्रों में उल्लेखित शर्तो / प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

9. स्वीकृत पार्किंग का उपयोग केवल पार्किंग के लिए ही किया जायेगा। अन्य कोई उपयोग अनुमन्य नहीं होगा। विपरीत दशा में प्रदत्त शमन स्वीकृति स्वतः निरस्त मान्य होगी।

10. वर्तमान में प्रस्तुत / स्वीकृत शमन मानचित्र के अनुरूप उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट–2010 के प्राविधान के अनुसार संशोधित डीड ऑफ डिक्लेरेशन प्रस्तुत करना होगा।

11. शमनीय भवन की गुणवत्ता मान्य तकनीकी मानकों, स्ट्रक्चरल डिजाइन आदि में कमी अथवा किसी अन्य किसी दोष के कारण यदि भवन में अथवा भवन के परिसर में कोई दुर्घटना होती है तो समस्त दुर्घटनों की क्षतिपूर्ति के लिए निर्माणकर्ता स्वयं उत्तरदायी होंगे एवं शमन मानचित्र में दर्शाए गये तथ्यों में से कोई तथ्य असत्य पाया जाता है तो समस्त उत्तरदायी निर्माणकर्ता एजेन्सी / निर्माणकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।

12. उत्तर प्रदेश प्रदूषण विभाग द्वारा निर्गत अनापत्ति पत्र में अंकित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

13. स्टेट लेवल इन्वायरमेंट इम्पेक्ट असैसमेन्ट ऑथरिटी, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत पत्र में अंकित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

14. सोलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट सिस्टम की व्यवस्था स्थल पर पूर्णता प्रमाण पत्र से पूर्व करानी होगी।

15. प्राधिकरण की समस्त देयता का भुगतान पूर्णता प्रमाण पत्र से पूर्व करना होगा।

16. माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों / निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

17. स्ट्रक्चरल की संरचना, सुरक्षा का समस्त उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।

18. शर्त–1 से 18 तक साइट प्लान के पृष्ठ भाग पर चस्पा है।

संलग्नकः शमन मानचित्र का सैट।

सहायक अभियन्ता,
प्रवर्तन जोन–1